मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 20, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1983-84 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश चावला, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का छठां वार्षिक प्रतिवेदन 1987-88 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों को बोनस राशि का भुगतान न हो पाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ललित जैन, सदस्य, प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को सहकारिता के माध्यम से चलाये जाने की घोषणा की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, जिला सतना के विकास खण्ड मझगवां के ग्राम पंचायत बैरहना में हाई स्कूलों का भवन निर्माण कराये जाने,

(2) श्री भागचन्द सोगानी, सदस्य, जिला गुना के परसौदा से करोद तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य -

(क) जिला मुरैना के पहाड़गढ क्षेत्र के पूर्व तालाबों को सिंचाई हेतु बांध बनवाये जाने,

(ख) जिला मुरैना के ग्राम अन्तरोली गुरजा मार्ग का निर्माण एवं कुआरी नदी पर रपटा बनवाए जाने,

(ग) जिला मुरैना, तहसील जौरा में कालेज भवन का निर्माण कराये जाने,

(4) ठा. दरबार सिंह, सदस्य -

(क) जिला राजनांदगांव के महराजपुर के सरोधा बांध की मरम्मत कराये जाने,

(ख) जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत रक्से में हाई स्कूल खोलने,

(ग) जिला राजनांदगांव के महराजपुर में हाई स्कूल खोले जाने,

(घ) जिला राजनांदगांव के महराजपुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. मध्यप्रदेश भूमि सुधार मण्डल के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना अधिनियम 1967 (क्रमांक 13 सन् 1967) धारा (3) की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में मध्यप्रदेश भूमि सुधार मण्डल में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

6. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की सभा (कोर्ट) में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए विधान सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

115

7. वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल और डीजल का समुचित भाग न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोविन्द शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा (2) मध्यप्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के प्रभावी समाधान के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

9. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

30 मि. प्रदेश में सड़को की जर्जर दशा, नियमानुसार रखरखाव न होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने तथा प्रदेश का विकास अवरूद्ध होने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल
दिनांक 10 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा